

06/01/17

के ख. न. 945 रकबा 0.01 हे. किस्म 21.9.2168 संवत् 2073

में नाजायज कब्जा/काश्त कर लिया है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर सायल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को नोटिस जारी किया जावे। मिसल दिनांक 30/01/2017 बेमुकाम मेड़वा पेश हों।

नायब तहसीलदार
मेड़वा

30/1/17

पतावली पेशा गैर सायल उपस्थित
गैर सायल को गैर ले जाकर पेश किया जा. दि. 30/1/17
गैर सायल को गैर ले जाकर पेश करने पर पटवारी
रिपोर्ट दिनांक 15/1/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़वा

15/2/17

पतावली पेशा पटवारी की रिपोर्ट के आधार
प्रेसिडेंस दिनांक 16/2/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़वा

16/2/17

पतावली पेशा पटवारी रिपोर्ट के आधार
रिपोर्ट दि. 15/1/17 को पेश हो कि पटवारी
रिपोर्ट दि. 15/1/17 को गैर व श. म. निरिक्त रिपोर्ट
से स्थापित एक रिपोर्ट पेश की है। के अन्तर्गत रिपोर्ट
पुस्तक जारी जाते जाते निम्नी रिपोर्ट की गयी जो
रिपोर्ट की गयी के अ. न. 945 रकबा 0.01 हे. किस्म

नायब तहसीलदार
मेड़वा

1612/17

जोख राखा को कानि पर तप 2013 में को
इसपर अवेध करवा निज ही

इस पर अघाषी के विरुद्ध धारा 81 IPC के
के तहत धमकाने की शक्ति के लिए जांच-पड़ताल
जारी किया गया। जोख को पकड़ा हुआ अघाषी
उपस्थित जगह पर गए जहां कि उसके कोटे
हय किया है इस पर पकड़ी करवा ले-पुन, रिपोर्ट
की गयी जिसके आधार पर अघाषी को मुहाना
आशपी पर करवा है इस अघाषी को अघाषी
को छोड़ दिया जा रहा है कि उपरोक्त अघाषी
को हे को करवा अवेध दिया जा रहा है और ताल
को करवा कर 6 अघाषी ही है कर 0.01 है कर 0.06
को 50-शुण के कि अघाषी 31 वेला ही धुपना करवा
किया जा रहा है और ताल को जोख मय से वेद कर
करने के धुपना करवा के मय करवा है पकड़ी
हय करवा करवा के करवा 0 TRA को किया जा
पकड़ी करवा पालना के करवा शुण देकर-कर
ले कर है

दिनांक 17/12/2017 को जारी

नायब तहसीलदार
मेड़वा

24/6-17 रूपव 3
मे. 4 केपूठ सं. 25 पर दज की

रमोल राजमल सेवका मेड़वा